"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2009— भाद्र 6, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हिमांशु बंजारे आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार बंजारे, निवासी-एच. आई. जी. 1/42, पुराना बोरसी कोलोनी दुर्ग, तहसील व जिला -दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम हिमांशु वीर सिंग रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हिमांशु वीर सिंग आत्मज राजेन्द्र कुमार बंजारे के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
हिमांशु बंजारे	हिमांशु वीर सिंग
आत्मज श्री आर. के. बंजारे	आत्मज श्री आर. के. बंजारे
निवासी-एच. आई. जी. 1/42	निवासी-एच. आई. जी. 1/42
पुराना बोरसी कोलोनी, दुर्ग	पुराना बोरसी कालोनी, दुर्ग
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व ज़िला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

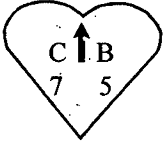
वन मण्डलाधिकारी, बस्तर (सा.) वन मण्डल, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2009

क्रमांक / 1012.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में अंकित आकृति का बीट एक्स हैमर बस्तर परिक्षेत्र के अंतर्गत मधोता बीट हेतु निर्गमन किया गया था जिसे श्री सुखराम नाग परिसर रक्षक मधोता द्वारा कक्ष क्रमांक 1418 पी. एवं 1419 पी. में भ्रमण के दौरान कहीं पर अचानक गिर कर खो गया. परिक्षेत्र अधिकारी , बस्तर के पत्र क्रमांक/बी. टी. आर./865 दिनांक 31-7-09 द्वारा सूचित किया गया है कि बीट हैमर गुमने की सूचना पुलिस थाना भानपुरी में दर्ज कर दी गई है.

अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त बीट हैमर भण्डार से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 40.00 (रुपये चालीस मात्र) श्री सुखराम नाग परिसर रक्षक मधोता के देय स्वत्वों से वसूल करने का आदेश स्वीकृत किया जाता है तथा हैमर उनकी लापरवाही से गुम होने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हैमर मिले तो वह अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त हैमर का उपयोग करते पाया जावेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग चलाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.



मो. शाहिद,
वन मंडलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.